16

पत्रांक ....

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद,
लोकपाल (मनरेगा),
गया।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
गया।

गया, दिनांक ..../........../201

विषय : **गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत– सिन्दुआर के श्री भोला प्रसाद एवं अन्य द्वारा संयुक्त रूप से दायर परिवाद संख्या 02/2018–19 से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोहनपुर प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत दायर परिवाद संख्या 02/2018–19 में की गई जाँच एवं जाँचोपरान्त पाये गये साक्ष्य का प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक : **जाँच प्रतिवेदन।**

विश्वासभाजन

ह0/–
रमाशंकर प्रसाद
लोकपाल (मनरेगा),
गया।

ज्ञापांक 10 लो0, गया, दिनांक 03/1/2019

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

03.01.19

रमाशंकर प्रसाद
लोकपाल (मनरेगा),
गया।

61
24/01/2019

गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत सिन्दुआर के श्री भोला यादव, श्री जयराम प्रसाद, श्री सुरजदेव प्रसाद, श्री दिनेश प्रसाद एवं श्री अर्जुन प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से एक परिवाद दायर किया गया है, जिसका परिवाद संख्या 02/18–19 में अंकित कर आरोपों की जाँच की गई एवं जाँचोपरान्त विधिवत कार्रवाई की अनुशंसा के संबंध में प्रतिवेदन

श्री भोला यादव पिता– श्री कैलाश यादव, श्री जयराम प्रसाद पिता– श्री धनु महतो, श्री सुरजदेव प्रसाद पिता– स्व0 नन्हकू महतो, श्री अर्जुन प्रसाद पिता– वासुदेव महतो एवं श्री दिनेश प्रसाद पिता– श्री रूपलाल महतो सभी ग्राम– जमुहार, पो0– बुमुआर, पंचायत– सिन्दुआर, थाना– एवं प्रखंड– मोहनपुर, जिला– गया ने संयुक्त रूप से एक परिवाद दायर कर आरोप लगाया है कि मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक एवं अन्य लोगों ने मिलकर उनके द्वारा बनाये गये कुँआ की राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जबकि कुँआ बनाने का खर्च लाभुकों के द्वारा किया गया है, इसलिए इसकी जाँच कर लाभार्थियों को खर्च किये गये राशि दिलाई जाय।

परिवादी द्वारा सभी पाँचों दायर परिवाद ग्राम पंचायत– सिन्दुआर, प्रखंड– मोहनपुर, जिला– गया का है, जो एक समान प्रकृति के हैं, इसलिए परिवाद निष्पादन के क्रम में एक समान प्रक्रिया लागू करते हुए परिवादी द्वारा दायर परिवाद की छायाप्रति कार्यक्रम पदाधिकारी, मोहनपुर, गया को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक 31 दिनांक 12.05.2018 द्वारा अंकित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ 15 दिनों के अन्दर भेजने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी ने समय पर जाँच प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर कार्यालय पत्रांक 40 दिनांक 09.06.2018 द्वारा पुनः स्मार पत्र देते हुए एक सप्ताह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।

कार्यक्रम पदाधिकारी, मोहनपुर, गया ने अपने पत्रांक 10 दिनांक 06.07.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो अधुरा रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक 66 दिनांक 11.08.2018 द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन सुक्ष्मता से जाँचोपरान्त देने का निदेश दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 54 दिनांक 07.09.2018 द्वारा जो अंतिम प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजा हैं, उसके आधार पर जाँच प्रक्रिया प्रारंभ की गई। दिनांक 03.10.2018 को सुनवाई की तिथि पूर्व से निर्धारित रहने एवं इसकी सूचना दोनों पक्षों को रहने के बाद भी शिकायतकर्त्ता एवं विपक्षी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई नहीं हुई एवं दूसरी तिथि दिनांक 13.10.2018 को निर्धारित की गई। दिनांक 13.10.2018 एवं दिनांक 24.10.2018 को भी एक–एक पक्ष अनुपस्थित रहने के कारण दूसरी तिथि दिनांक 10.11.2018 को निर्धारित किया गया।

दिनांक 10.11.2018 को दोनों पक्षों का आंशिक सुनवाई हुई। सर्वप्रथम शिकायतकर्त्ता का पक्ष सुना गया। शिकायतकर्त्ता श्री भोला यादव पिता– श्री कैलाश यादव, ग्राम– जमुआर, थाना एवं पंचायत– मोहनपुर, जिला– गया ने अपने लिखित वयान में यह कहा है कि 2013–14 में मनरेगा द्वारा निजी जमीन पर कुँआ का निर्माण कराया गया, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 150000/– है, जिसमें 130000/– राशि लंबित है। कुँआ बनाने के समय मुखिया श्री नन्द किशोर प्रसाद द्वारा यह कहा गया था कि कुँआ बना लो, राशि का भुगतान हो जाएगा। इस

संबंध में कोई लिखित नहीं दिया था, परन्तु आज 4 वर्ष बीत चुका है, फिर भी मेरे द्वारा कुँआ बनाने में लगाई गई राशि का भुगतान नहीं किया गया है और मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि जिस कुँआ का निर्माण कराया गया था, उसकी राशि मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक श्री सुबोध कुमार द्वारा निकाल लिया गया है। वहीं श्री सुरजदेव प्रसाद पिता– स्व0 नन्हकू महतो, ग्राम– जमुआर, पंचायत– सिन्दुआर, थाना– एवं प्रखंड– मोहनपुर, जिला– गया ने कहा है कि वर्ष 2013–14 में मनरेगा द्वारा उनके निजी जमीन पर कुँआ का निर्माण कराया गया था, जिसमें उसे 28000/– की राशि प्राप्त हुआ है, जबकि प्राक्कलित राशि 150000/– है। उसके अनुसार रूपये 122000/– अभी लंबित है। पूर्व मुखिया श्री नन्द किशोर प्रसाद एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया था कि कुँआ बना लो पैसा मिल जाएगा, परन्तु 4 वर्ष बीत जाने पर भी कोई राशि नहीं मिल पाया और इन्होंने मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक पर राशि हड़प लेने की बात कही है, जबकि शिकायतकर्त्ता श्री अर्जुन प्रसाद के अस्वस्थ रहने के कारण उनके पुत्र श्री विजय कुमार पिता– श्री अर्जुन प्रसाद, ग्राम– जमुआर, पंचायत– सिन्दुआर, थाना एवं प्रखंड– मोहनपुर, जिला– गया ने भी मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक पर राशि हड़पने का आरोप लगाया है। इसके पुष्टि के लिए कोई और अन्य साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक 08.12.2018 को पुनः वाद की सुनवाई प्रारंभ किया गया। विपक्षी पक्ष की ओर से कार्यक्रम पदाधिकारी, मोहनपुर, गया ने कहा कि परिवादी ने कुल 05 योजनाओं (सिंचाई कूप) पर लाभुक को राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के प्रावधान के अनुसार नगद राशि का भुगतान किसी भी व्यक्ति/लाभुक को नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई ठेकेदारी की व्यवस्था है और भुगतान मजदूरों के खाता में तथा सामग्री का भुगतान सामग्री उपलब्ध कराने वाले भेडर के खाते बैंक में सीधे किया जाता है। जाँच के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि मनरेगा के तहत् क्रियान्वित पाँचों योजनाओं में इन्ही नियमों का पूर्णतः पालन किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इन पाँचों योजनाओं का पूर्ण ब्योरा दिया गया है, जिसकी सुक्ष्मता से जाँच की गई।

योजना संख्या 46/2013–14, ग्राम– जमुआर में सुरजदेव प्रसाद के खेत में सिंचाई कूप निर्माण, जिसकी प्राक्कलित राशि 150000/– में मापी पुस्त की राशि 148156 के विरूद्ध बेजलिस्ट नंबर 15378 दिनांक 13.04.2016 द्वारा कुल 57699/– श्रमिकों को मजदुरी का भुगतान खाता से किया गया, जबकि सामग्री का भुगतान बिल नंबर 222 दिनांक 17.04.2018 एवं 05 दिनांक 18.04.2016 द्वारा 90425 किया गया है।

योजना संख्या 45/2013–14, ग्राम– जमुआर में श्री भोला यादव के खेत में सिंचाई कूप का निर्माण की कुल प्राक्कलित राशि 150000/– है। मापी 150000/– रूपये के विरूद्ध इस योजना अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान खाता के माध्यम से किया गया। चेक संख्या 304679 दिनांक 20.06.2014, 304680 दिनांक 20.06.2014, 304844 दिनांक 24.09.2014, 304843 दिनांक 24.09.2014 एवं 304842 दिनांक 24.09.2014 द्वारा 19116/– किया गया एवं बिल नंबर 11 दिनांक 03.04.2014, 88 दिनांक 19.05.2016 एवं 111 दिनांक 18.05.2016 द्वारा कुल राशि रूपये 62048.04/– का भुगतान सामग्री मद में किया गया, जबकि इस योजना में 53000/– रूपये का भुगतान अभी भी लंबित है।

योजना संख्या 08/2014–15 में श्री जयराम प्रसाद के खेत में सिंचाई कूप निर्माण में कुल प्राक्कलित राशि 150000/– के विरूद्ध मापी पुस्त की राशि 150000/– है, जिसमें मजदूरी का भुगतान वेज लिस्ट 15301 दिनांक 13.04.2016, 12370 दिनांक 13.04.2016 एवं 00776 दिनांक 18.05.2016 के अनुसार 47430/– रूपये श्रमिक (मजदूर मद) में व्यय की गई है, वहीं सामग्री मद में बिल नंबर 06 दिनांक 18.04.2016 द्वारा कुल 73077/– रूपये का भुगतान किया गया है, जबकि इस योजना में 29493/– रूपये सामग्री मद में भुगतान करना शेष रह गया है।

योजना संख्या 06/2014–15 ग्राम– जमुहार में श्री अर्जुन प्रसाद के खेत में सिंचाई कूप का निर्माण में किये गये भुगतान राशि का ब्योरा इस प्रकार है– प्राक्कलित राशि 150000/–, मापी पुस्त की राशि 126940/– है। इसके विरूद्ध मजदूरी मद में भुगतान खाता के माध्यम से किया गया है, जिसका ब्योरा इस प्रकार है– चेक संख्या 304839 दिनांक 24.09.2014, चेक संख्या 304840 दिनांक 20.09.2014 एवं वेज लिस्ट नंबर 13128 दिनांक 28.05.2014 के अनुसार 35964/– रूपये किया गया, जबकि बिल नंबर 20 दिनांक 16.06.2014 एवं 57 दिनांक 14.06.2014 के अनुसार 77848/– रूपये सामग्री मद में भुगतान किया गया, जबकि शेष राशि का भुगतान करना रह गया है।

योजना संख्या 04/2017–18, जो श्री दिनेश प्रसाद के खेत में सिंचाई कूप निर्माण में कुल प्राक्कलित राशि 210000/– जिसमें मापी पुस्त की कुल राशि 159100/– है। श्रमिकों का भुगतान वेज लिस्ट नंबर 08027 दिनांक 23.06.2017, 08030 दिनांक 06.07.2017 एवं 33187 दिनांक 14.03.2018 के अनुसार 55578/– रूपये एवं बिल नंबर 56 दिनांक 23.02.2018 द्वारा सामग्री मद में 86431.68/– रूपये का भुगतान किया गया है, जबकि इस मद में और भुगतान होना रह गया है।

शिकायतकर्त्ता ने दिनांक 10.11.2018 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह भी कहा था कि मुखिया द्वारा मुझे कुँआ बनाने का लिखित शायद कोई कागजात दिया गया था, जिसपर उन्हें कागजात प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, जिसे शिकायतकर्त्तागण प्रस्तुत करने में विफल रहें और ना ही अपने पक्ष में किसी व्यक्ति का बयान ही दर्ज कराया, जिससे स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्त्तागण को कुँआ बनाने का कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं है और ना ही इस तरह का कोई सरकारी प्रावधान ही है कि लाभार्थी को सीधा भुगतान किया जाय।

निष्कर्ष :– सुनवाई एवं जाँच के क्रम में पाई गई स्थिति, अभिलेखों, दाखिल किये गये प्रतिवेदनों पर अंकित तथ्यों तथा बयानों से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्त्ता के पास अपने स्तर से कुँआ बनाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वैसी परिस्थिति में शिकायतकर्त्तागण द्वारा दायर किये गये परिवाद संख्या 02/18–19 में अंकित दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए इस वाद की आगे की कार्रवाई बंद की जाती है।

3.1.19

रमाशंकर प्रसाद
लोकपाल, मनरेगा, गया।